न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./12324/2004/जयपुर

1– नानगी पुत्री भोरिया पत्नि हरसहाय जाति मीणा निवासी खैतपुरा हाल आबाद घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1– मंगला दत्तक पुत्र भोरिया जाति मीणा निवासी घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2– नाराणी पुत्री सुखदेव बेवा दयाचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम खोरी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3– सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट

खण्ड–पीठ
डॉ0 आर0वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री जयपाल चावला अभिभाषक रेस्पोडेन्ट जरिये ब्रिफ होल्डर।

निर्णय **दिनांक :– 3.12.2020**

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–2004 अपील सं0 187/2003 बउनवान मु0 नारायणी बनाम मंगला के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मु0 नाराणी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के समक्ष एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 472 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह खसरा नं0 644 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 471/769 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर अपीलांट के मृतक पिता भोरिया पुत्र सुखदेव की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलांट के दादा सुखदेव का देहान्त सन् 1966 में हुआ तथा पिता भोरिया का देहान्त सन् 1995 में हुआ जिसने रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के हक में की है। अपीलांट के पिता के मरने के बाद रेस्पो0 सं0 2 ने अपने आपको सुखदेव की पुत्री बताते हुए कभी भी कब्जे में न होते हुए बिना कब्जे की इस्तदुआ

किये घोषणा का वाद सन् 1999 में पेश किया जिसे दिनांक 29–9–2003 को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बस्सी ने खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपीलांट मु0 नारायणी ने अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण को सुनते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2004 को अपील अपीलांट स्वीकार कर ली जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2004 से व्यथित होकर अपीलांट नानगी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस व मौखिक बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0/वादिया द्वारा अपने आपको सुखदेव मीणा की पुत्री बताते हुए वाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें हाल आराजी खसरा नं0 472/0–4 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, 644/1–14 बीघा, 471/769 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा के बाबत् प्रस्तुत कर अपीलांट/प्रतिवादी के पिता भोरिया पुत्र सुखदेव के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त कर स्वयं को आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए रेस्पो0/वादिया सुखदेव की पुत्री नहीं है, केवल भोरिया ही सुखदेव का पुत्र है तथा भोरिया ने अपने जीवनकाल में कभी किसी को गोद नहीं लिया और उसकी मृत्यु के बाद विधवा नारायणी आराजी को काश्त करती चली आ रही है तथा पूर्व में भी मंगल के द्वारा अपने आपको भोरिया का दत्तक पुत्र बताते हुए दावा किया जो दावा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। अब नारायणी व मंगल ने आपस में षड़यन्त्र रचकर भोरिया की आराजी को हड़प करना चाहते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों की प्लीडिंग के आधार पर तनकियात कायम करने के बाद पक्षकारों की साक्ष्य लेकर दिनांक 23–9–2003 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह कानूनी बिन्दु लिया गया कि मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस कारण सुखदेव की आराजी में नारायणी जो अपने आपको सुखदेव की पुत्री बताती है, को विरासत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, केवल उसके पुत्र भोरिया को ही अधिकार प्राप्त है। इस कारण दायर प्रथम अपील खारिज योग्य है। बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि दावा दायरी की तिथि को रेस्पोडेन्ट वादिया नारायणी का आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। इस कारण बिना कब्जे के उसके पक्ष

में घोषणा का व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। रेस्पो0/वादिया ने वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट/प्रतिवादीगण का व उसके पिता का कब्जा स्वीकार किया है। इस कारण स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। रेस्पो0/वादिनी सुखदेव की जाईन्दा पुत्री है। इस तथ्य को साबित करने हेतु उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वह सुखदेव की पुत्री साबित हो। इस बाबत् अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से यह ऐतराज लिया किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायालय केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावे को डिक्री नहीं कर सकता है। अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के पिता राजस्व अभिलेख में भोरिया पुत्र सुखदेव की हैसियत से खातेदार काश्तकार के रूप में चले आ रहे थे। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके पिता भौरिया द्वारा उसके व माता नारायणी के पक्ष में निष्पादित की गई पंजीकृत वसीयत दिनांक 17–12–1987 प्रस्तुत की गई है। वसीयत के आधार अपीलांट/प्रतिवादी मृतक भोरिया की भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी हैं। रेस्पो0/वादी अपना वाद सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही और वह दावे में प्रतिवादी की किसी कमी को लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2004 निरस्त किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2003 को बहाल रखा जाकर पंजीकृत वसीयत दिनांक 17–12–1987 के आधार पर अपीलांट को खातेदार दर्ज किया जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1966 आर0आर0डी पेज 71, 2002 आर0आर0डी0 पेज 31, 2006 आर0आर0टी0 पेज 1215, 2014 आर0आर0टी0 पेज 901, 2016 आर0बी0जे0 पेज 36, 1989 आर0आर0डी0 पेज 527,774, 1992 आर0आर0डी 114, 2015 आर0बी0जे0 पेज 51, ए0आई0आर0 1960 पेज 100, 2014 आर0बी0जे0 पेज 642, 1994 आर0आर0डी0 पेज 744,746, 2008 आर0बी0जे0 पेज 766, 2006–07 आर0आर0टी0 पेज 334, 187, 2008 आर0बी0जे0 पेज 766, 2018 आर0बी0जे0 पेज 306 व ए0आई0आर0 (एस0सी0) पेज 1506 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है, वह युक्तियुक्त एवं कानून सम्मत होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2003 में तनकीवार निर्णय करते हुए वादिया का वाद खारिज किया गया है जिसके विरूद्व विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2004 में अंकित किया कि अपीलार्थी/वादिनी अपना वाद साबित करने में पूर्णतः सफल रही है जबकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 पूर्णतया असफल रहे हैं। परिणामतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार सुखदेव की आराजी किसी अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गयी थी जिसे तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–2–1987 की पालना में दिनांक 31–3–1987 को नामान्तरकरण सं0 215 के जरिये भोरया पुत्र सुखदेव की खातेदारी में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण को आदिनांक तक चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादिनी सं0 2 नारायणी पुत्री सुखदेव पत्नि दयाचन्द की मृत्यु हो चुकी है, उसके स्वयं के कोई जीवित जाईन्दा वारिस नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बस्सी की पत्रावली में संलग्न वादपत्र के पैरा सं0 4 में अंकित सजरा में अपीलार्थी नारायणी पुत्री भोरया अंकित है। सजरें को देखने से दृष्टिगत होता है कि भोरया के पिता छोटू (फौत) एवं सुखदेव (फौत) आपस में सगे भाई थे जिनमें से प्रत्यर्थी सं0 2 नारायणी सुखदेव की पुत्री है और अपीलार्थी नानगी सुखदेव के भाई के पुत्र की पुत्री है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यथी का खानदान एक ही है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक नारायणी पुत्री सुखदेव लाऔलाद फौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को ही बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ कानूनी अधिकार मिलता है। भोरया ही वादग्रस्त आराजी को काश्त करता था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद को खारिज किया गया है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि वादिया मु0 नारायणी पुत्री सुखदेव बेवा दयाचन्द अपना वाद व कब्जा साबित करने में असफल रही है। विवादित भूमि पर भौरया का ही कब्जा काश्त था। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उक्त तथ्यों पर सही ढंग से विवेचन नहीं किया गया है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं।

9– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2004 निरस्त की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2003 बहाल रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(डॉ0 आर0 वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष